छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड़, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, **ई-मेल** - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक–01 / निर्वाचन / 2026 / 1057 रायपुर, दिनांक 6/8/2026

:: सूचना ::

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के तृतीय परिषद् गठन हेतु संभागीय प्रतिनिधियों को निर्वाचन के अंतर्गत परिषद् कार्यालय द्वारा मतदाताओं को उनके व्यवसाय स्थल के पते पर मतदान लिफाफा (A) स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। तत्संबंध में परिषद् के पास अनेक चिकित्सकों के लिखित एवं मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं से दबावपूर्वक या किसी प्रलोभन के द्वारा वापसी मतदान लिफाफा (B) एवं मतपत्र लिफाफा (C) लिया जा रहा है। किसी भी उम्मीद्वार अथवा चिकित्सक का यह आचरण छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम 2023 के वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह भी ज्ञात हो कि किसी चिकित्सक द्वारा अपना मतदान लिफाफा एवं मतपत्र किसी अन्य को सौंपना छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम 1973 के धारा 11 (1) का उल्लंघन एवं कार्यवाही योग्य है।

उपरोक्तानुसार परिषद् में पंजीकृत समस्त आयुर्वेद / यूनानी / प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों से अनुरोध है कि यदि कोई भी उम्मीद्वार अथवा उनका समर्थक मतदाताओं से उनका मतदान लिफाफा दबावपूर्वक अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामलों में संलिप्त उम्मीद्वार अथवा समर्थक / चिकित्सक का नाम स्पष्ट उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र परिषद् को प्रेषित करें ताकि संबंधित के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम एवं विनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही किया जा सके।

आप सभी से पुनः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान में सहयोग की अपेक्षा है।

(डॉ. संजय शुक्ला)
निर्वाचन पदाधिकारी / रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

****

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी भवन, प्रथम तल, जी.ई. रोड, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक–03 / निर्वाचन / 2026 / 1058 रायपुर, दिनांक – 6/8/2026

–:: सूचना ::–

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर में पंजीकृत समस्त आयुर्वेद / यूनानी / प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि यह बात संज्ञान में आयी है कि तृतीय परिषद् गठन हेतु संभागीय प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कुछ उम्मीद्वारों अथवा समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं अन्य माध्यमों में किसी व्यक्ति अथवा संगठन के विरूद्ध अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, तत्संबंध में परिषद् कार्यालय को अनेक शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। किसी भी उम्मीद्वार अथवा उनके समर्थकों का यह आचरण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 के वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों के विपरीत है।

2/ उपरोक्तानुसार समस्त चिकित्सक अवगत होवें कि परिषद् निर्वाचन से संबंधित चुनाव प्रचार के दौरान वे सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य माध्यमों में किसी व्यक्ति / संगठन अथवा शासन के विरूद्ध किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक समाचार, टिप्पणी, फोटो अथवा वीडियो प्रयुक्त न करें। अन्यथा स्थिति में संबंधित चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(डॉ. संजय शुक्ला)
निर्वाचन पदाधिकारी / रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर

***

Scanned with OKEN Scanner